रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जनवरी, 2008 / 28 पौष, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 14 जनवरी, 2008

संख्याः टी0सी0पी0–ए(3)–10 / 97.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 26.09.1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, लिपिक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम,1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, लिपिक, (वर्ग–III, अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **उपाबंध "अ" का संशोधन.–** हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, लिपिक, वर्ग–III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबंध "अ" में : –

(क) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर;

(ii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

(ख) स्तम्भ संख्या 15 के पश्चात् स्तम्भ संख्या 15–क निम्नलिखित रुप में अन्तः स्थापित की जाएगीः–

"15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

I संकल्पना :–

(क) इस पॉलसी के अधीन, नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश में लिपिक संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाएगा, जिसे दो और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग सरकार से रिक्त पद (दों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को दो अग्रणी समाचार पत्रों में इसे विज्ञापित करने के लिए सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

II संविदात्मक उपलब्धियां :– सविदा पर नियुक्त लिपिक को 4830 / – रुपए की दर से सविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी।(जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) यदि सविदा में वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्षों के लिए सविदात्मक उपलब्धियों में 110 / –रुपए प्रतिवर्ष की वृद्वि अनुज्ञात की जाएगी।

III नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी :– निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना हिमाचल प्रदेश नियुक्ति / अनुशासनक प्राधिकारी होगा।

IV चयन प्रकिया :– सविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा और यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

V संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :– जैसी सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

VI करार :– अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमो से संलग्न उपाबंघ–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII निबन्धन और शर्तें :– (क) सविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4830/– रुपए की दर पर नियत सविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। (जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) सविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए सविदात्मक रकम में 110/– रुपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाओं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिए जाएगें।

(ख) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, व्यक्ति को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सचित किया जा सकेगा। सविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड0) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही सविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। सविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) सविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित लिपिक को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

VIII नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार :– इन नियमों के अधीन सविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में लिपिक के रुप में नियमितिकरण/ स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
सचिव।

उपाबन्ध– "ख"

हिमाचल प्रदेश सरकार और संविदा पर नियुक्त लिपिक के मध्य निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले सविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....,सविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है) आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप में सविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार.....के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में लिपिक के रूप में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ सविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.... .....दिन को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** की सविदात्मक रकम 4830 / – रूपए प्रतिमास होगी।

3. **प्रथम पक्षकार** की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को सविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. सविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. सविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक सचित किया जा सकेगा। सविंदाजात लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही सविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। सविदा पर नियुक्त लिपिक कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक उपलब्धियों का हकदार नही होगा।

7. सविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

9. सविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. सविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में –
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में :–
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————

[Authoritative English Text Of This Department Notification No.Tcp A(3)-10/97, Dated 14.1.1008 As Required Under Clause (3) Of Article 348 Of The Constitution Of India]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 14th January, 2008

No. TCP-A(3)-10/97.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the H.P. Town & Country Planning Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Recruitment &

Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification of even number dated 26-9-1997, namely :-

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Clerk, (Class- III-Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*— In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Clerk, Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 1997,-

(a) For the existing provision against column No.10 the following shall be substituted, namely:-

(i) 90% by direct recruitment or on Contract basis.

(ii) 10% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.

(b) After column No.15, the column No.15-A shall be nserted as per the following :-

15A. Selection for appointment to the post by contract appointment:

(I) CONCEPT:- (a) Under this policy, the Clerk in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years.

(b) The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P.Subordinate Service Selection Board, Hamirpur for advertising the details of the vacant post in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govt. job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :- The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 4830/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). An amount of Rs. 110/- as increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:- The Director, H.P. Town & Country Planning will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:- Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:- As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:- After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:-(a) The Contract Appointee will be paid contractual amount @ 4830/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale plus Dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ 110/- for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

(c) Contract appointee shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular clerk.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT :- The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/ permanent absorption as Clerk in Department at any stage.

By order,
Sd/-
Secretary.

Form of contract/agreement to be executed between the Clerk & the Government of Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning Department.

This agreement is made on this….....……day of…….....……in the year…….....Between Sh /Smt.....……S/o /D/o Shri…..……R/o……., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Clerk on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Clerk on contract basis for a period of 1 year commencing on day of…… and ending on the day of ……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …….. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 4830/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Clerk will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Clerk. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Clerk will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the contractual official will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

9. Contract Officer shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……..…
……
……...…
(Name and Full Address)

(signature of the FIRST PARTY)

2. ……..….
……...
……...
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……...
…….
…….
(Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY)

2. ……
……
……
(Name and Full Address)

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA.

NOTIFICATIONS

Shimla, 16th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-203/90-I.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 19 days earned leave w.e.f. 18.2.2008 to 7.3.2008 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 4.2.2008 to 17.2.2008 and second Saturday and Sunday falling on 8th and 9th March, 2008 in favour of Shri Virender Sharma, Civil Judge (Senior Division)- cum-CJM, L&S at Kullu.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, L&S at Kullu, but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, 14th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-288/2006.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 19 days earned leave w.e.f.13.12.2007 to 31.12.2007 in favour of Shri Ramnik Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Arki.

Certified that Shri Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified Shri Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Arki, but for his proceeding on leave for the above period.

———

Shimla, 14th January, 2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare Shri Rajeev Bali, Civil Judge(Sr. Division)-cum-JMIC(2), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 -00-105-03 (soon Plan) w.e.f. 21.1.2008 to 2.2.2008.

———

Shimla, the16th January,2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Sr. Divn.)-Cum-CJM, Kullu as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Divn.)-cum-CJM, L&S at Kullu and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under

Major Head "2014- Administration of Justice" during the leave period of Shri Virender Sharma, Civil Judge(Sr.Division)-cum-CJM, L&S at Kullu w.e.f. 18.2.2008 to 7.3.2008 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 4.2.2008 to 17.2.2008 and second Saturday and Sunday falling on 8th and 9th March, 2008 or until he returns from leave.

Shimla, 14th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-225/96.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 12 days earned leave w.e.f. 18.2.2008 to 29.2.2008 with permission to prefix special casual leave w.e.f. 3.2.2008 to 17.2.2008 in favour of Shri Yogesh Jaswal, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Kasauli.

Certified that Jaswal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Jaswal would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Kasauli, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, 16th January, 2008

No.HHC/GAZ/14-253/2002.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 6 days earned leave w.e.f. 28.1.2008 to 2.2.2008 with permission to prefix gazetted holidays and Sunday falling on 25th, 26th and 27th January, 2008 and to suffix Sunday falling on 3.2.2008 in favour of Shri Gaurav Mahajan, Civil Judge (Junior Division)-cum- JMIC, Jawali.

Certified that Shri Mahajan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Mahajan would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jawali, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla, 16th January, 2008

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, is pleased to declare the Civil Judge(Sr. Divn.)-Cum-ACJM, Nurpur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Divn.)-cum-JMIC, Jawali and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class- II,III and IV establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014- Administration of Justice" during the leave period of Shri Gaurav Mahajan, Civil Judge(Jr. Division)-cum-JMIC, Jawali with effect from 28.1.2008 to 2.2.2008 with permission to prefix holidays falling on 25th 26th and 27th January, 2008 and to suffix Sunday falling on 3.2.2008, or until he returns from leave.

By order;
Sd/-
Registrar General.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 8 जनवरी, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)ए0–(7)1–82 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु महाल भटोग व डवारडु तहसील सदर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 20 को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र)मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा नं0	क्षेत्र(विघा. विस्वा)
मण्डी	सदर	भटोग / 603	60 / 1	0–10–12
			62 / 1	0–2–0
			76 / 1	0–3–10
			113 / 1	0–4–2
			114 / 1	0–11–6
			115 / 1	0–14–4
			116 / 1	0–0–17
			123 / 1	0–1–6
			124 / 1	0–6–0
			126 / 1	0–12–15
			516 / 127	0–13–0

			517 / 127 / 1	0–14–0
			128 / 1	0–3–4
			128 / 1 / 1	0–0–6
			184 / 1	0–1–2
			528 / 186 / 1	0–1–8
			529 / 186 / 1	0–3–14
			529 / 186 / 2	0–1–0
			187 / 1	0–5–12
			188 / 1	0–12–12
			190 / 1	1–1–7
			200 / 1	0–12–9
			204 / 1	0–9–15
			161 / 1	0–7–4
			208 / 1	0–9–3
			208 / 1 सा0	0–4–0
			206 सा0	0–1–0
			312 / 1	0–19–15
			313सा0	0–3–6
			314 सा0	0–1–5
			320 / 1	0–4–6
			321 / 1	0–4–14
			322 / 1	0–2–18
			358 / 1	4–4–16

			359 / 1	0–1–2
			367 / 1	0–1–12
			368सा0	0–8–0
			370 / 1	0–0–6
			371 / 1	0–3–7
			372 सा0	0–2–6
			499 / 358 / 1	0–0–6
			211 / 1	0–4–0
			365 / 1	0–0–14
		कुल जोड	किता–43	16–10–1
मण्डी	सदर	डवारडू / 600	213 / 1	0–10–18
			225 / 1	0–1–14
			228 / 1	0–5–11
			231 / 1	0–0–9
			240 / 1	0–0–12
			242 / 1	0–4–1
			252 / 1	0–7–2
			255 / 1	0–5–6
			257 / 1	0–4–15
			397 / 260 / 1	1–13–17
			398 / 260 / 1	1–8–13
			267 / 1	0–8–6
			270 / 1	1–1–17

			324 / 1	0–3–3
			327 / 1	1–9–13
			327 / 2	0–4–5
			328 / 1	0–7–5
			328 / 2	0–15–17
			331 / 1	0–8–10
			334 / 1	1–2–1
			335 / 1	1–13–6
			342 / 1 / 1	1–3–17
			340	0–6–6
			342 / 1	2–2–7
			343 / 1	0–14–3
			348 / 1	0–9–17
			349 / 1	1–12–8
			349 / 2	1–3–2
			351 / 1	0–4–4
			352 / 1	0–7–8
		कुल जोड	किता–30	21–1–3

शिमला–2, 8 जनवरी, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7)(1)83 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु महाल घकलवाहण / 620 व पाखरी / 599, तहसील सदर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 20 को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा नं0	क्षेत्र(विघा. विस्वा)
मण्डी	सदर	घकलवाहण / 620	96 / 1	1–3–14
			98 / 1	3–4–0
			203 / 1	0–11–8
			204	0–12–17
			206 / 1	0–9–2
			209 / 1	0–6–16
			215 / 1	0–7–10
			216 / 1	1–0–7
			217	1–7–16
			220 / 1	0–10–5
			221 / 1	0–15–8
		कुल जोड	किता–11	10–9–3
मण्डी	सदर	पाखरी / 599	133 / 1	0–6–15
			139 / 1	0–5–10
		कुल जोड	किता–2	0–12–5

शिमला–2, 8 जनवरी, 2008

शुद्धि पत्र

स0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7)1–9 / 2006.– इस विभाग द्वारा जारी परिशिष्ट समसंख्यक दिनांक 29–11–2007 में गांव गोडी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में खसरा न0 184 / 42 / 1 / 1 रकबा तदादी 2–16 बीघा के स्थान पर खसरा न0 184 / 42 / 1 / 2 रकबा तदादी 2–16 बीघा पढा जाये।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/07-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rajiv Kumar S/O Shri Kalyan Chand, R/O Sheetla Wali Gali, Ward No.1, Nalagarh, District Solan, H.P. V/S The Chief Project Director, Mid Hills Water Shed Development Project, Solan, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Rajiv Kumar S/O Shri Kalyan Chand workman by the Chief Project Director, Mid Hills Water Shed Development Project, Solan, District Solan, H.P. w.e.f. 25-09-2005 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ishwar Dutt Sharma S/O Shri Chand Lal Sharma, Village Bardanda, P.O. Dharampur, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. V/S Management of M/S Hemma Herbs Private Limited, Plot No. 39 Industrial Area, Barotiwala, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of Shri Ishwar Dutt Sharma S/O Shri Chand Lal Sharma workman by the Management of M/S Hemma Herbs (P) Limited, Plot No. 39 Industrial Area,

Barotiwala, District Solan, H.P without serving him notice of absenteeism is legal and justified? If not, what relief of seniority, back wages and amount of compensation the concerned aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/07-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Antu Yadav S/O Shri Kirpal Yadav, Sidhartha Labour Coloney-106, Village Khera, P.O. Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. V/S Managing Director, M/S Sidhartha Super Spinning Mills Limited, Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether not taking of joining after availing leave on medical ground by the Management of M/S Sidhartha Super Spinning Mills Limited, Khera, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. of Shri Antu Yadav S/O Shri Kirpal Yadav and finally terminating his services w.e.f. 16-03-2006 without any charge sheet and enquiry is legal and justified? If not, what seniority, back wages and service benefits the aggrieved workman Shri Antu Yadav is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Solan.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Km. Laxmi Devi D/O Shri Kanshi Ram, R/O House No. 4142/15, Balmiki Basti, Nahan, District Sirmour, H.P. V/S Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division, Nahan, District Sirmour, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of service of Km. Laxmi Devi D/O Shri Kanshi Ram Ex. Part time sweeper by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division, Nahan, District Sirmour, H.P. w.e.f. May, 1997 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Manoj Kumar Nayak S/O Shri Anant Prasad Nayak through Shri Satish Kumar, Branch Seceretary, H.P. A.I.T.U.C., H.Q. Near State Bank of Patiala, Baddi, District Solan, H.P. V/S Managing Director, M/S Khaitan Manufactring Co., Plot No.-60, Industrial Area Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Manoj Kumar Nayak S/O Shri Anant Ram Nayak workman by the Managing Director, M/S Khaitan Manufactring Co., Plot No.-60, Industrial Area Baddi, District Solan, H.P. w.e.f. 23-08-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vipan Kumar S/O Shri Daya Ram, Village Nurkotha, P.O. Amresa, Tehsil Jwali, District Kangra, H.P. V/S Managing Director, M/S Khaitan Manufactring Co., Plot No.-60, Industrial Area Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को

उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Vipan Kumar S/O Shri Daya Ram workman by the Managing Director, M/S Khaitan Manufactring Co., Plot No.-60, Industrial Area Baddi, District Solan, H.P. w.e.f. 23-08-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kuldeep S/O Shri Rachna Ram, Village Kotia, P.O. Mandhala, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. V/S Management of M/S Suriba Industries, Plot No.216, Village Kunjhal, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Management of M/S Suriba Industries, Plot No.216, Village Kunjhal, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. to terminate the services of Shri Kuldeep S/O Shri Rachna Ram workman w.e.f. 14-07-05 and not to paying his salary for the month of July, 2005 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Arun Kumar S/O Shri Raghuwer Singh, C/O Branch Secretary, H.P. A.I.T.U.C., H.Q. Near State Bank of Patiala, Baddi, District Solan, H.P. V/S Managing Director, M/S Samitiz India, Near H.D.F.C.(ATM) Bank, Sai Raod Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Arun Kumar S/O Shri Raghuwer Singh workman by the Managing Director, M/S Samitiz India, Near H.D.F.C.(ATM) Bank, Sai Raod Baddi, District Solan, H.P w.e.f. 21-07-2005 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and back wages the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ramesh Kumar S/O Shri Ram Dass, Village Kona, P.O. Nanakpur, Tehsil Kalka, District Panchkula, Haryana. V/S Managing Director, M/S Echel Engineering Components Co., Plot No.51-53, H.P.S.I.D.C., Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Ramesh Kumar S/O Shri Ram Dass workman by the Managing Director, M/S Echel Engineering Components Co., Plot No.51-53, H.P.S.I.D.C., Baddi, District Solan, H.P w.e.f. 07-08-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/10(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Gurdev Singh S/O Shri Satish Kumar, State Executive Member, H.P.AITUC, H.Q. Near S.B.O.P.. Baddi, District Solan, H.P. V/S The Secretary, Institute of Engineering and Emerging Technology, Mukhana-Majra Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Gurdev Singh workman by the Secretary, Institute of Engineering and Emerging Technology, Mukhana- Majra Baddi, District Solan, H.P. w.e.f. 01-01-2006 without complyng the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/10(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hari Singh S/O Shri Halku Ram V/S The Managing Director, Him Techno Forge Limited, Baddi, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the demand of wages w.e.f. 14-01-2006 to 07-03-2006 by Shri Hari Singh S/O Shri Halku Ram before the Managing Director, M/S Him Techno Forge Limited, Baddi, District Solan, H.P. is tenable, legal and justified? If yes, what relief of service benefits / wages to the aggrieved workman is entitled as per demand notice? If not, what is its legal effects?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Chajju Ram S/O Shri Nek Ram, Village Kotiyan, P.O. Mandhala, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. V/S Management of M/S Suriba Industries, Plot No. 216, Village Kunjhal, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Management of M/S Suriba Industries, Plot No.216, Village Kunjhal, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P to terminate the services of Shri Chajju Ram S/O Shri Nek Ram workman w.e.f. 24-07-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and not to pay salary for the month of July, 2005 as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Mitra Bahadur C/O Shri Tara Chand Jharmajri, P.O. Barotiwala, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. V/S Factory Manager, M/S Som Santi Corporation, Plot No. 234, HPSIDC, Indst. Area Baddi, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Mitra Bahadur (Security Guard) Workman by the Factory Manager, M/S Som Santi Corporation, Plot No. 234, HPSIDC, Indst. Area Baddi w.e.f. 01-11-2005 without complyng the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Pardeep Kumar S/O Shri Sukh Ram, Village Dhaket, P.O. Dhabas, Tehsil Chopal, District Shimla, H.P. V/S Management of M/S Cipla Limited, Village Malpur Upper, P.O. Bhud, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of Shri Pardeep Kumar S/O Shri Sukh Ram trainee w.e.f. 04-02 06 before completion of training period by the Managing Director, M/S Cipla Limited, Village Malpur Upper, P.O. Bhud, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what seniority, past service benefits and relief the concerned trainee is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-2/93(Lab)ID/ 07-Baddi.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shiv Prasad C/O Shri Brahma Nand, Himachal Fibers Limited, Barotiwala Gover Coloney, District Solan, H.P. V/S (1) M/S Dharam Pal Prem Chand Limited, Damuwala, Haripur Road, P.O. Barotiwala, District Solan, H.P. (2) M/S Him Security Services, Village Jharmajri, P.O. Barotiwala, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Shiv Prasad workman by the (1) Managing Director, M/S Dharam Pal Prem Chand Limited, Damuwala, Haripur Road, P.O. Barotiwala, District Solan, H.P. (2) Proprietor, M/S Him Security Services, Village Jharmajri, P.O. Barotiwala, District Solan, H.P w.e.f. 24-08-2005 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

Sd/-
Labour Commissioner.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

1. श्री चिन्त राम पुत्र श्री लौंगू राम, निवासी डूहकली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री गरजा राम, निवासी गांव बगेच हाल पत्नी श्री चिन्त राम, निवासी गांव डूहकली, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

1. ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
2. आम जनता .. फरीक दोयम।

दिए जाने आदेश सचिव ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि० प्र० कि वे प्रार्थीगण की शादी को पंचायत अभिलेख में दर्ज करें।

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन–पत्र गुजारा है कि उनकी शादी दिनांक 15–3–2000 को हिन्दू रिती–रिवाज के साथ हुई है लेकिन पंचायत अभिलेख में उक्त शादी दर्ज न की गई है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री चिन्त राम व विद्या देवी की शादी 15–3–2000 को दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 2–2–2008 को या इससे पूर्व अदालत अधोहस्ताक्षरी में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरांत कोई भी उजर / एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी की तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ता० / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

———

ब अदालत श्री एस० आर० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमाः

श्री मनी राम पुत्र श्री हुक्म राम, निवासी जौवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उपरोक्त विषय के बारे में श्री मनी राम पुत्र श्री हुक्म राम, निवासी जौवा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने आवेदन–पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी वुआ श्रीमती बेलू देवी पुत्री श्री रामू, की मृत्यु दिनांक 20–9–2000 को मुकाम जौवा में हुई है लेकिन अज्ञानता के कारण वह उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज नहीं करा सका है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29–1–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश करें अन्यथा ग्राम पंचायत कोट को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 26–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस० आर० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री एस० आर० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री देवी दयाल पुत्र श्री जुगत राम, निवासी डोबा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री देवी दयाल पुत्र श्री जुगत राम, निवासी डोबा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने एक प्रार्थना–पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 30–11–1950 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत देहरा में उसकी जन्म तिथि 1947 गलत दर्ज है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29–1–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस० आर० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री एस० आर० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री बुध राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी रल्लू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ..... वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी श्री बुध राम पुत्र श्री परमा नन्द, निवासी रल्लू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 31–8–1953 है जबकि पंचायत अभिलेख ग्राम पंचायत निशानी में उसकी जन्म तिथि 1948 गलत दर्ज है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29–1–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें गैर हाजरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस० आर० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत श्री एस० आर० शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री ईश्वर दास पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी बुईणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . .वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

श्री ईश्वर दास पुत्र श्री कमला नन्द, निवासी बुईणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने एक आवेदन–पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोट के रिकार्ड में अधूरी दर्ज है। जिसमें मात्र वर्ष दर्ज है। जबकि मेरी पूरी जन्म तिथि 1–3–1964 है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 29–1–2008 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर पेश करें अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोट को जन्म तिथि दरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस० आर० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री मसदी राम, निवासी धरमाणा, डा० सदवाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०) . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

श्री वचित्र सिंह पुत्र श्री मसदी राम, निवासी धरमाणा, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम वचित्र सिंह पुत्र श्री मसदी राम, निवासी धरमाणा है परन्तु राजस्व अभिलेख में चतर सिंह दर्ज हुआ है जो कि गलत है जिसकी पुष्टी के लिए प्राथी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथी–पत्र व रिपोर्ट ग्राम पंचायत सदवाणा व नकल जमावन्दी संलग्न कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति / रिश्तेदार को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 4–2–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने ऐतराज पेश कर सकता है। हाजर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ता० / –,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री कन्हैया राम, निवासी त्यामला, डा० कठवाउं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

श्री चन्द्रमणी पुत्र श्री कन्हैया राम, निवासी त्यामला, डा० कठवाउं, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम चन्द्रमणी पुत्र श्री कन्हैया राम, निवासी त्यामला है परन्तु पंचायत अभिलेख में चन्द राम दर्ज हुआ है जो कि गलत है जिसकी पुष्टी के लिए प्राथी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथी–पत्र व नकल परिवार रजिस्टर व नकल जमावन्दी संलग्न कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति / रिश्तेदार को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 4–2–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने ऐतराज पेश कर सकता है। हाजर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ता० / –,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री पदमू पुत्र श्री मसदी, गांव कठवाउं, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)
.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।

श्री पदमू पुत्र श्री मसदी, निवासी कठवाउं, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम पदमू पुत्र श्री मसदी निवासी कठवाउं है परन्तु उसकी सेवा पूंजी हि० प्र०, लोक विभाग के रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज हुआ है जो कि गलत है। जिसकी पुष्टी के लिए प्राथी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथी–पत्र व नकल परिवार रजिस्टर व शिक्षा प्रमाण–पत्र व नकल जमावन्दी संलग्न कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति / रिश्तेदार को प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 4–2–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने ऐतराज पेश कर सकता है। हाजर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ता० / –,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत श्री जोगिन्द्र पटियाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, संधोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती तारीख पेशी 13–2–2008

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी अप्पर सोहर, डाकघर संधोल, उप–तहसील संधोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी अप्पर सोहर, उप–तहसील संधोल ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सोहर, उप–तहसील संधोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम जीत सिंह लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम अजीत सिंह है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13–2–2008 को 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

जोगिन्द्र पटियाल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
संधोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री बृज लाल पुत्र स्व० श्री जीत राम, निवासी ग्राम कोट, डा० ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ..... प्रार्थी।

बनाम

जनरल पब्लिक (सर्वसाधारण)

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री बृज लाल पुत्र स्व० श्री जीत राम, निवासी ग्राम कोट, डाकघर ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि० प्र०) ने दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी बुआ स्व० श्रीमती सुमती देवी विधवा श्री ख्याली राम, निवासी ग्राम कोट, डा० ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की मृत्यु दिनांक 30–6–2007 को ग्राम कोट, डा० ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन में हुई थी। परन्तु किन्ही कारणों से उपरोक्त मृतक श्रीमती सुमती देवी विधवा श्री ख्याली राम, की मृत्यु का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत सतड़ोल, तहसील कण्डाघाट में नहीं करवाया गया है जिसे अब दर्ज करने के आदेश सादर किए जाएं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृतक श्रीमती सुमती देवी पत्नी स्व० श्री ख्याली राम, निवासी ग्राम कोट, डा० ममलीग, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन का इन्द्राज ग्राम पंचायत सतड़ोल, तहसील कण्डाघाट में दर्ज करने बारे कोई

एतराज हो तो वह दिनांक 5–2–2008 को प्रातः 10 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस के दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा अदम हाजरी गैर हाजरी में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जाएगी और मृतक उपरोक्त श्रीमती सुमती देवी की मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। प्रताप सिंह रान्टा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, कण्डाघाट,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 17 / 2007. तारीख पेशी 30–1–2008.

ब मुकद्दमा :

अमरजीत सिंह बनाम हरबंश कौर आदि।

मिसल तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954, वाका मौजा निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार / नोटिस बनाम प्रतिवादीगण नम्बर (1) हरबंस कौर, 2. रणजीत कौर पुत्रियां श्री सुन्दर सिंह, निवासी निहालगढ, 9. श्रीमती रघवीर कौर, 10. हरभजन कौर, 11. श्रीमती हरजिन्द्र कौर पुत्रियां व 11. श्रीमती रणजीत कौर विधवा श्री आत्मा सिंह, निवासी खैरी डोईवाला (उत्तराखण्ड), 19. मंगल सिंह, 20. पप्पू पुत्रान व 21. पप्पी पुत्री श्री सरवण सिंह, निवासी लाल तप्पर रेशम माजरी, तहसील रिषीकेश (उत्तराखण्ड)।

मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण की तलबी आसान तरीके से न हो पा रही है। अतः प्रतिवादीगण को इस नोटिस / इश्तहार से सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त मुकद्दमे की पैरवी हेतु मिति 30–1–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैर–हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 26–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०) हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

हरबंस लाल पुत्र श्री राम प्रकाश

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबंस लाल पुत्र श्री राम प्रकाश, वासी सिंगा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय / न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री कंचन का जन्म दिनांक 21–10–1997 को हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21–1–2008 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत सिंगा को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय / न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता० / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०)
हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०) हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

हरबंस लाल पुत्र श्री राम प्रकाश

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरबंस लाल पुत्र श्री राम प्रकाश, वासी सिंगा, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय / न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अंकिता का जन्म दिनांक 28–9–2003 को हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 21–1–2008 को प्रातः 10 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत सिंगा को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–12–2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय / न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ता० / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०)

हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री आर० डी० हरनोट, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश कुमार बनाम आम जनता।

विषय.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री Bhori Singh, निवासी Village Balehai, P. O.Yol, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता श्रीमती Ajudhiya Devi की मृत्यु दिनांक 4–9–1999 को हुई है परन्तु एम०सी० / ग्राम पंचायत Balehai में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत करने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती Ajudhiya Devi की मृत्यु पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29–1–2008 को असालतन या वकालतन हाजिर आ कर पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24–12–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। आर० डी० हरनोट,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित